सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 75/17 निर्णय दिनांक 29.01.2018

1. सीताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंचाईड़ा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंचाईड़ा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 15.06.2002
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सोमदत्त पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय दिनांक 15—06—2002 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को बारानी भूमि का नाजायज तरीके से आवंटन की गई के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता रूपाराम के नाम से ग्राम शरह नेतावास में खेत खसरा नम्बर 63 में 21 बीघा खातेदारी कदीमी चली आ रही है तथा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि रकबाराज चली आ रही है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा उक्त 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि को बारानी भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र की मांग की गई थी। जिस पर अपीलांट ने भी अपना प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 10–06–2002 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13–06–2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट व अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर यह अंकित करते हुए कि अपीलांट अनुपस्थित व खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर पटवार मण्डल हंसेरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिस पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि ग्राम शरह नेतवास के खसरा नम्बर 63/1/66 में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि आराजीराज है। उक्त तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 3 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटित की दी गई। जो निरस्त योग्य है। जब मौके पर 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही आवंटन हेतु उपलब्ध थी तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या

1 को 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन का मुख्य आधार यह माना गया है कि रेस्पोडेन्ट भूमिहीन है जबकि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही भूमि निहित है। इसप्रकार वह भूमिहीन काश्तकार नहीं हो सकता। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को बारानी भूमि का आवंटन किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ–3(25)/उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप उपनिवेशन क्षेत्र द्वितीय चरण में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राज्यादेशों की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 5 बीघा 12 बिस्वा बारानी भूमि का आवंटन किया गया है जो कानूनन गलत होने के कारण निरस्त योग्य है। वादगत् भूमि पर न तो रेस्पोडेन्ट का कब्ज काश्त है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित नहीं की जा सकती थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में दिनांक 09–06–2017 को गया तब संबंधित कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया कि आपका प्रार्थना पत्र तो खारिज कर दिया गया व उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हो चुका है। तब अपीलांट ने दिनांक 12–06–2017 को नकल बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व उसी दिन नकल प्राप्त हुई। अतः अपीलांट द्वारा बिना देरी के जानकारी से यह अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। मियांद कन्डोन के लिए धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 1202, आरआरटी 2011 एससी पार्ट I पेज 602, आरआरटी 2002 एचसी पार्ट I पेज 648, 373, 53, आरआरटी 2001 आरबी पार्ट II पेज 969, आरआरटी 2015 एचसी पार्ट II पेज 1197, आरआरटी 2004 आरबी पार्ट I पेज 374 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—06—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 22—06—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 15 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसने दिनांक 09—06—2017 को अधिनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र की जानकारी प्राप्त की गई तो उसे बताया गया कि उसका प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है और रकबा रेस्पोडेन्ट भंवरलाल को आवंटित हो चुका है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा कब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अपीलांट के तमाम कथन मनगढ़त एवं बनावटी है। जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वर्ष 2002 से 2017 तक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना उसकी लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है। अपीलांट अपनी लापरवाही का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नियमानुसार वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट पर स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि शरह नेतवास के खसरा नम्बर 63!1 / 66 में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि शुद्व आराजीराज है व शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज किया जाचुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट द्वारा उसके खारिज प्रार्थना पत्र की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि उसे

अपने खारिज प्रार्थना की अपील करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा ऐसा न करके रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन की अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत् भूमि का खातेदार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है व अपीलांट को अपील की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 276, डीएनजे 2016 पार्ट II पेज 201, आरआरडी 1994 पेज 480, आरआरडी 1995 पेज 456 व आरआरडी 1991 पेज 164 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपील के साथ धारा मियांद प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम के तहत पेश किया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2011 पार्ट I जिसमें अभिलिखित है कि A liberal view should have been taken for condonation of delay. उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि ग्राम शरह नेतवास के खसरा नम्बर 63/1/66 में 5 बीघा 12 बिस्वा बारानी भूमि का आवंटन किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि ग्राम शरह नेतवास के खसरा नम्बर 63/1/66 में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि आराजीराज है। ऐसी स्थिति में जब मौके पर मात्र 3 बीघा 12 भूमि ही आवंटन योग्य उपलब्ध थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त आवंटन नहीं कहा जा सकता।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत था। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था ना कि अपीलांट को बिना सुने प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

(4) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ–3(25)/उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप उपनिवेशन क्षेत्र द्वितीय चरण में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राज्यादेशों की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 5 बीघा 12 बिस्वा बारानी भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि अदालत मातहत को उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी व चूंकि बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है लिहाजा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए था। अदालत मामहत द्वारा ऐसा न करते हुए रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से आराजी जैर का आवंटन किया गया है। जो कानूनन व राज्य आदेशों के विपरीत होने के कारण पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–06–2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर